

उनवान

पप्पू बनाम अजय सिंह

दावा बाबत :-53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर -12/2025
पेश करने की दिनांक -16.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्ई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :-

ग्राम बूबानिया के खसरा नम्बर 2153 रकबा 0.18 का खातेदार पप्पू सिंह पुत्र गंगा सिंह को खसरा नम्बर 1419, 1426, 1436, 1437, 1449, 1450, 2083, 2182 रकबा क्रमशः 0.14, 0.04, 0.19, 0.03, 0.10, 0.19, 0.25, 0.20 का खातेदार अजय सिंह पुत्र कालू सिंह 11/380 हि., कृष्णा कंवर पत्नी महिपाल 11/228 हि., खुशबू पुत्री महिपाल 11/228 हि., टीना पुत्री कालू सिंह 11/380 हि., धन कंवर पत्नी तेज सिंह 11/76 हि., नीलू पुत्री कालू सिंह 11/380, मुन्नी कंवर पत्नी कालू सिंह 11/380 हि., रघुनाथ सिंह पुत्र छोटू सिंह 5/38 हि., रतन कंवर पुत्री छोटू सिंह 11/38 हि., लोकेन्द्र पुत्र महिपाल सिंह 11/228 हि., सूरज कंवर पुत्री तेज सिंह 11/76 हि. व सोनू पुत्री कालू सिंह 11/380 हि. को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 9 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

